कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री राजकुमार शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तुम्बडिया, गंगरार जिला चित्तौडगढ का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समन्दसर, डूंगरगढ जिला बीकानेर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री राजकुमार शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 523/2019 राजकुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 523/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष जिले में वर्तमान में उपलब्ध रिक्त पदों को दर्शाते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपना पदस्थापन/समायोजन अपने गृह जिले चित्तौडगढ में राउमावि बोलोको सांवता/सुन्दरी/मुगाणा/सुखवाड़ा/आरणी में से प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए उनका समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाकूडा (CHAKUDA), कपासन जिला चित्तौडगढ किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। अपीलार्थी श्री राजकुमार शर्मा को को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/राजकुमार/523/2019 दिनांक 03.12.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर/उदयपुर संभाग, बीकानेर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर/चित्तौडगढ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर/चित्तौडगढ।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्री डूंगरगढ को निर्देशित किया जाता है वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री राजकुमार शर्मा प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त निदेशक(कार्मिक))

Scanned by CamScanner